

सोने व हीरे की स्मगलिंग कर करोड़ों रु. विदेश भेजने के आरोपी नवरतन सिंह जैन को जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब साढ़े 6 माह की न्यायिक अभिरक्षा के बाद आरोपी को जमानत दी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी फर्म बनाकर सोने-हीरे व अन्य बहुमूल्य धातुओं की विदेशों से स्मगलिंग करने के आरोपी नवरतन सिंह जैन को करीब साढ़े 6 माह बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने आरोपी को 2 लाख रुपये का बन्ध पत्र (बॉण्ड) व एक-एक लाख रुपये की दो प्रतिभूतियां पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि जब-जब उसे अदालत में बुलाया जाए, तब-तब उसे पेश होना होगा। यह आदेश जस्टिस विनोद कुमार भारवाणी ने प्रार्थी नवरतन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

कस्टम विभाग की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक और वरिष्ठा मेहरा ने आरोपी को

■ कस्टम विभाग का कहना है कि, आरोपी नवरतन सिंह जैन और उसके साथियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 200 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये हॉन्ग-कॉन्ग और यू.ए.ई. में भिजवाए। करीब 80 किलो सोने फर्जी बिल इन फर्मों से तैयार हुए थे।

जमानत पर रिहा नहीं करने के लिए दलीलें दीं। कस्टम विभाग की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी नवरतन सिंह जैन और उसके साथियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 200 बैंक खातों के जरिये करोड़ों रुपये का फर्जी लेनदेन किया। आरोपियों ने कंपनियों के रिकॉर्ड व दस्तावेजों की जांच किए बिना ही करोड़ों रुपये के फर्जी सॉर्टिफिकेट जारी किए, जिनके आधार पर अवैध रूप से खरीदे हुए सोने, हीरे व कई बहुमूल्य धातुओं की विदेश

से स्मगलिंग भारत लाया गया। इन जेवरों को भारतीय बाजार में बेचकर करोड़ों रुपये हांकोगे व यूएई में भेजे गए। कस्टम विभाग की जांच में सामने आया कि 200 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध लेनदेन हुआ। आरोपी नवरतन सिंह जैन व उसके साथियों ने फर्जी फर्मों के नाम से गलत तरीके से बिल जारी करके यह रकम विदेशों में भिजवाई गई। करीब 80 किलो सोने के फर्जी बिल सामने आए हैं। इस पूरे मामले में नवरतन

सिंह जैन व अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

उधर प्रार्थी नवरतन सिंह की ओर से अधिवक्ता सहबन नकवी ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि कस्टम अफसरों ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रार्थी के बयान रिकॉर्ड नहीं किए हैं, इसलिए इन कथनों को अमान्य माना जाए। कस्टम विभाग की जांच में भी ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई, जिससे नवरतन सिंह को दोषी बनाया गया।

नवरतन सिंह को 28 अक्टूबर 2022 को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया था, वह पिछले साढ़े 6 माह से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जबकि उसका पूर्व में कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसके अलावा इस मामले में अन्य आरोपियों को अदालत ने पूर्व में ही

जमानत पर रिहा कर दिया है। अधिवक्ता सहबन नकवी ने कहा कि धारा-132 सीमा शुल्क अधिनियम का अपराध जमानती है, धारा-135 सीमा शुल्क अधिनियम में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा के योग्य है। चूंकि यह प्रकरण मुख्यतः दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित है, जिसे खटबुद करने की संभावना नहीं है। प्रकरण पर साक्षी भी कस्टम विभाग के अधिकारी हैं, जिन्हें डराने-धमकाने की भी कोई आशंका नहीं है। इसलिए अदालत नवरतन सिंह जैन को जमानत पर रिहा करे। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी नवरतन सिंह जैन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

संक्षिप्त

युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप

जयपुर। आमेर इलाके में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। थानाधिकारी नन्दलाल ने बताया गांव महरोली, श्रीमामधोपुर निवासी बलवीर (36) को उसके परिजनों ने नशे की लत छुड़ाने के लिए इलाके में ठाटर रोड स्थित नई किरण नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। घटनाक्रम के मुताबिक 12 अप्रैल को उसकी तबियत बिगड़ गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिया। अब मृतक के भाई सुरेंद्र ने नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी अनुज सिंह सहित अन्य पर मारपीट-टॉर्चर का आरोप लगाया है।

युवती से दो लाख रुपये हड़पे

जयपुर। खोह-नागोरियन इलाके में एक युवती से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया बाबा कॉलोनी निवासी सपना सिंह ने रिपोर्ट दी है कि परिचित पंकज सैन ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रूपए हड़प लिए और नौकरी नहीं लगवाई। अब रूपए वापिस करने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं हरमाड़ा इलाके में एक व्यक्ति से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया सीकर रोड निवासी अरविन्द्र प्रकाश शर्मा के पास जालसाज ने घर बैठे कमाने का मैसेज भेजा और जब उसने संपर्क किया तो वेबसाइट पर अकाउंट बना दिया। इसके बाद झंसे में लेकर 2 लाख 93 हजार 680 रूपए ऑनलाइन धर कर लिए।

दो लाख रुपये रंगदारी मांगी

जयपुर। मालपुरा गेट इलाके में एक व्यक्ति से 2 लाख रूपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जांच-अधिकारी एसआई मुकेश कुमार ने बताया खोह कॉलोनी निवासी युवती ने रिपोर्ट दी है कि अज्ञात व्यक्ति मोबाइल पर कॉल कर 2 लाख रूपए की रंगदारी मांग रहा है, नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी है।

शास्त्री नगर थाने में महिला से अभद्रता

जयपुर। शास्त्रीनगर थाना परिसर में एक महिला से बदतमीजी का मामला सामने आया है। एसीपी (शास्त्रीनगर) महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया इलाके निवासी एक महिला ने इस्तगसे के जरिए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है 18 मार्च को वह पड़ोसी महिला का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसके साथ थाने पर आई थी। यहां एसआई भंवर सिंह ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और बदतमीजी करते हुए मोबाइल भी छीन लिया। पीडिता ने खुद को प्रकरार बताया तो करीब 1 घंटे बाद मोबाइल वापिस किया। अब वह ब्लाउसअप कालिंग कर राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

जयपुर। जालपुरा इलाके में एक युवती से देहशोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया इलाके निवासी युवती ने रिपोर्ट दी है कि कुतेश जागा शादी का झांसा देकर देहशोषण करता आ रहा है। अब उसने शादी से इंकार कर दिया है।

‘ऑर्बिटल एथरेक्टॉमी’ तकनीक से सफल एंजियोप्लास्टी की

जयपुर। देश में पहली बार हार्ट की आर्टरी के कैल्सिफाइड ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोरमंडल की घुरी की तरह चलने वाले ड्रिल (ऑर्बिटल एथरेक्टॉमी) से ब्लॉकेज को साफ करके स्टेंट लगाया गया।

जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल में देश का पहला ऑर्बिटल एथरेक्टॉमी केस हुआ जिसमें हृदय की दोनों नसों में गंभीर कैल्सिफाइड ब्लॉकेज से जूझ रहे मरीज की जान बचाई गई। मशहूर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समीन शर्मा के निदेशन में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव शर्मा ने यह सफल केस किया। डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि 65 वर्षीय मरीज के हार्ट की दोनों प्रमुख नसों में गंभीर कैल्सिफाइड ब्लॉकेज था।

मरीज के हार्ट की बाई धमनी में 95 प्रतिशत और दाई धमनी में 100 प्रतिशत ब्लॉकेज था जिसमें काफी मात्रा में कैल्शियम जमा था।

■ हृदय की दोनों नसों में गंभीर कैल्सिफाइड ब्लॉकेज से जूझ रहा था मरीज

करीब 1 घंटे के प्रोसीजर में ऑर्बिटल एथरेक्टॉमी तकनीक की मदद से कैल्शियम को घुरी तरह साफ करके वहां स्टेंटिंग की। डॉ. शर्मा ने बताया कि देश में पाए जाने वाले हार्ट ब्लॉकेज में 25 से 30 प्रतिशत मामले कैल्सिफाइड ब्लॉकेज के होते हैं। अभी तक ऐसे मामलों में रोटाब्लेशन एवं आईवीएल (शांक्वेव) तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऑर्बिटल एथरेक्टॉमी तकनीक दोनों तकनीकों से ज्यादा एडवांस है। यह बड़ी और छोटी दोनों नसों में कारगर है और कैल्शियम को काफी छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे ब्लॉक फलों के साथ ही कैल्शियम नस में से निकल जाता है।

प्रदेश में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरुवार को 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 95 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर ढाई सौ के करीब आ गए हैं।

प्रदेश में गुरुवार को 8 जिलों में 11 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को इनकी संख्या 22 रही थी। इसर आज चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर में 2-2 तथा बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और टोंक में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 3367 कोविड जांच की गई है।

प्रदेश में गुरुवार को 95 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 251 रह गए हैं। इनमें जयपुर में 92 केस मौजूद हैं। इसके अलावा पाली में 35 और उदयपुर में 34 एक्टिव केस बचे हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9730 लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रताप सिंह के आरोप निराधार व गलत है : अभिमन्यु सिंह राजवी

‘समाधि स्थल की जमीन आवंटन करने का श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है’

जयपुर। भाजपा युवा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खारचरियावास के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान बिल्कुल निराधार एवं गलत है। अभिमन्यु ने कहा कि भैरोंसिंह की समाधि स्थल के लिए उनके कहने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थान अलॉट करवाया। ऐसे में अकेले प्रतापसिंह खारचरियावास का इसे लेकर श्रेय लेना एक अछड़ी बात है, हो सकता है कि उनका इसमें सहायक रहा होगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे राय ली होगी। समाधि स्थल तय करने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विशेष भूमिका रही। अभिमन्यु ने कहा कि भाजपा कार्यालय में भैरोंसिंह का फोटो हमेशा से लगा रहा है। ग्यारह साल पूर्व स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत

की मूर्ति लगाई गई तब वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी इसमें शामिल होने आए और परिवारजन और बहुत से लोग स्वर्गीय शेखावत को श्रद्धांजलि देने वहां गए थे। अभिमन्यु ने कहा कि प्रतापसिंह खारचरियावास का यह कहना कि इस जन्मशताब्दी समारोह को लेकर स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत के प्राता और उनके पिता लक्ष्मणसिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि 13 मई की शाम उन्होंने इस पर कहे कि वे इस आयोजन में जरूर आएंगे। ऐसा मैं या तो प्रतापसिंह के पिताजी ने उनको यह बात बताई नहीं या फिर मंत्रीजी ने इस संबंध में उनसे पूछना लाजमी नहीं समझा।

9 लाख 72 हजार की लूट की वारदात का पर्दाफाश

विधायकपुरी पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार किया

जयपुर (कांस)। विधायकपुरी पुलिस ने 3 मई को व्यापारी के साथ दिनदहाड़े 9 लाख 72 हजार की लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 17 हजार रूपए और वारदात में काम ली गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि 3 मई को पीडित यश जैन ने विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसके दोस्त को 9 लाख 72 हजार रूपए देने थे जो उसके लिए वह अपने कर्मचारी राहुल जैन को 7 लाख 22 हजार रूपए देकर और रज्जाक से 2 लाख 50 हजार रूपए लेकर दोस्त को पूरा पेमेंट देने के लिए कहा। इस पर राहुल जैन रज्जाक के भतीजे से 2 लाख 50 हजार रूपए राज मंदिर सिनेमा की पीछे वाली गली में प्राप्त कर 9 लाख 72 हजार रूपए स्कूटी की डिक्की में रखकर ले जा रहा था। कुछ दूर जाते ही दो बाइक सवार युवक आए और राहुल जैन की स्कूटी गिरा दी। उसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। बदमाश 9 लाख 72 हजार रूपए लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। दिनदहाड़े लूट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर घटनास्थल के आसपास करीब 100 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज को चेक करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपित नसरुदीन निवासी जयसिंहपुरा खोर और मोहम्मद मोहसिन निवासी शास्त्री नगरको गिरफ्तार किया है।



विधायकपुरी पुलिस ने व्यापारी को लूटने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी भारत सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों आरोपी ने मोटरसाइकिल से राज मंदिर सिनेमा की गली में से राहुल जैन की स्कूटी को गिरा कर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मोहसिन ने राहुल जैन से मारपीट की और नसरुदीन ने स्कूटी से रूपए निकाल लिए और इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए थे। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने की संभावना है।

जयपुर में खेल अकादमी व ई-व्हीकल चार्जिंग पॉइंट शुरू करेगा ग्रेटर निगम

25 मई को होने वाली साधारण सभा की बैठक में 21 प्रस्तावों पर होगी चर्चा

जयपुर (कांस)। जयपुर ग्रेटर नगर निगम अपनी खुद की खेल अकादमी खोलेगा। इसके साथ ही ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू की है। इसके लिए 25 मई को होने वाली साधारण



विवेकानंद सभासद भवन में होगी। इसमें 21 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे अधिक एंजेंडे सफाई से जुड़े हुए हैं। नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन, विद्याधर नगर जोन, झोटवाड़ा जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन में बैटरी चलिट इ-हूपर घर-घर से कचरा संग्रहण का काम करेगा। इ-हूपर खरीदने के लिए बजट की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी बोर्ड बैठक में ली जाएगी।

सूत्रों की मां में तो बैठक में नगर निगम ग्रेटर जयपुर के सामुदायिक केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित करने पर चर्चा

होगी। नगर निगम ग्रेटर के सामुदायिक केंद्रों में गर्मी के दिनों में विश्राम स्थल बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। निगम के विकसित शवदाह गृह व श्मशान घाट में निगम द्वारा निःशुल्क गोकाष्ठ उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर निगम ग्रेटर के सर्किल, डिवाइडर, तिराहा चौराहा आदि का विकास एवं संधारण कार्य विकास समितियों, संस्थाओं, कंपनियों के माध्यम से करवाने के संबंध में चर्चा होगी। ग्रेटर निगम मुख्यालय कैम्पस के गार्डन एरिया में बेसमेंट पार्किंग विकसित करने पर चर्चा होगी।

जयपुर क्राइम ब्रांच ने एक करोड़ रु. का गांजा पकड़ा

जयपुर (कांस)। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ रूपए का अवैध गांजा पकड़ा है। उडीसा से बंद कंटेनर में भरकर गांजे की तस्करी कर राजस्थान लाया गया था। गांजे की तस्करी के लिए कंटेनर में सीक्रेट केबिन बना रखा था। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 353 किलो गांजे से भरे कंटेनर को जब्त किया है।

एडि. कमिश्नर (फस्ट) कैलाश चन्द बिशनोई ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में आरोपी राजेन्द्र कुमार (25) पुत्र प्रकाशचन्द निवासी उदेई खुर्द पिलांदा सर्वाईमाधोपुर को अरेस्ट किया है। क्राइम ब्रांच के कान्स्टेबल ड्राइवर भंवर सिंह को सूचना मिली कि उडीसा से मादक पदार्थ गांजे की एक बंद कंटेनर से तस्करी कर उडीसा से राजस्थान लाया जा रहा है। तस्कर राजेन्द्र कुमार गांजे की खेप को अपने पास उदेई कला में खाली करेगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना पर सर्वाई माधोपुर में दबिश देकर गांजे से भरा कंटेनर पकड़ लिया। बंद बाँड़ी कंटेनर की ड्राइवर सीट के पीछे गुप्त रूप से केबिन बना रखा है, जिसका मुंह ऊपर की तरह खुलता है। कंटेनर में 353 गांजा भरा मिला। क्राइम ब्रांच ने तस्कर राजेन्द्र को अरेस्ट कर कंटेनर जब्त गांजे को जब्त कर लिया। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रूपए है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कंटेनर वाहन पर दूसरे ट्रक के नंबर का फास्ट टैग लगा कर परिवहन करता था। तस्करी के दौरान आरोपित अपना मोबाइल नंबर बंद रखता था। उडीसा में समीर बलियारसी ने मुजीगुड़ा स्थान पर

- उडीसा से तस्करी कर गांजा राजस्थान लाए थे बदमाश
- कंटेनर में गांजा छिपाने के लिए बना रखा था केबिन
- जयपुर के साथ सर्वाई माधोपुर और करौली में सप्लाई करता था गांजा

एक राजस्थानी होटल के नाम से होटल खोल रहा है। जिसकी आड़ में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करता है। वह पिछले दो साल से गांजा तस्करी का काम कर रहा है। डेढ़-दो महीने में उडीसा जाता है। 8-10 क्विंटल गांजा 2500-3000 रूपए प्रति किलो के हिसाब से लेकर आता है। सप्लायरों को 8-9 हजार रूपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई महेश मालावत निवासी कानोता, राजेश गुर्जर निवासी नदीती करौली, भूरा उर्फ भूरी शर्मा निवासी कल्याणजी मंदिर गेट गंगापुर सिटी, रमेशी उर्फ सुगली निवासी नादौती करौली, सेठी हरिजन निवासी गंगापुर सिटी, पिपल्या महावर निवासी दौसा को बेचना बताया। उडीसा से तस्करी कर लाए गांजे को छोटी-छोटी मात्रा में जयपुर व आसपास के तस्करों को सप्लाई करते हैं। वह उडीसा से गांजे की सप्लाई खुद ही लाकर वाया दौसा होते हुए जयपुर, सर्वाई माधोपुर और करौली करता है।

सार-समाचार

मुद्रणालयकर्मियों ने अनशन किया



जयपुर। राजधानी के शहीद स्मारक पर अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालयिक एकता मंच की ओर से चल रहा क्रमिक अनशन गुरुवार को 64 वें दिन भी जारी रहा। मंत्रालयिक एकता मंच के प्रदेश प्रवक्ता देवेन्द्र सिंह नरुका ने बताया कि आज राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारी अमर सिंह के नेतृत्व में जितेंद्र मीणा, रामशरण सोलंकी, मनोश शर्मा और राम खिलौड़ी मीणा क्रमिक अनशन पर बैठे। मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से अपनी प्रमुख मांगों सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रेड पे 4200 व कनिष्ठ सहायक को आर्थिक वेतन 25500 किए जाने की प्रमुख मांगों के साथ 6 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में 16 मार्च से शहीद स्मारक पर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। आज अनशन कर्ताओं के समर्थन में राजेश पारीक, गजेंद्र सिंह राठौड़, सुरेश भाषाई, देवेन्द्र सिंह नरुका, छोटे लाल मीणा, लालिब मोहन शर्मा, महेंद्र शर्मा, रमेश तिवारी, सुभाष लुगरिया, प्रकाश चंद यादव, रमेश चंद चौधरी, गोपाल लाल आलोरिया, केदार यादव, संजय मेहरा, शहादत अली, रवि शर्मा और कजोड़ मल बेरवा सहित अन्य कर्मचारी अनशन पर बैठे।

तीन हथियार तस्कर पुलिस के हथ्ये चढ़े

जयपुर (कांस)। कालवाड थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दो देशी पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपित मध्यप्रदेश से हथियार लाकर जयपुर में सप्लाई करते हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) वंदिता राणा ने बताया कि ऑपरेशन एक्शन ऑफिस्ट गन' (आग) तहत कारवाही कालवाड थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले हितेश बिशनोई (22) निवासी जाब जिला जालौर, रमेश बिशनोई (20) निवासी करड़ा जिला सांचौर और आशीष यादव (26) निवासी बुहाना जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से दो देशी पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित हितेश बिशनोई अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था और इसके बाद वह अवैध हथियारों की तस्करी करने लग गया।

युवती का आईफोन छीन ले गए बदमाश

जयपुर। मानसरोवर इलाके में मोबाइल स्नेचर्स एक युवती को धक्का देकर उसका आईफोन छीन ले गए। जांच-अधिकारी एसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया मंगलम अर्पण, मोहनपुरा निवासी खुशबू अग्रवाल 16 मई की रात करीब 9 बजे भाई के साथ न्यूवीटी पर पीछे बैठ पर जा रही थी। इस दौरान न्यू सांगानेर रोड पर बाइक सवार तीन बदमाश आए और जबरन आईफोन छीन लिया। इसके बाद धक्का देकर गिरा दिया। हादसे में युवती के कोहनो में चोट आई है। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 4 हजार चालान काटे

जयपुर, (कांस)। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बुधवार शाम सात बजे से रात 11 बजे तक चलाए गए राज्यव्यापी अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 हजार 139 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा सर्वाधिक 300 चालान किए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वी के सिंह ने बताया कि बुधवार को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें थाना पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में

दो स्थानों और जिले के ट्रैफिक पुलिस द्वारा तीन स्थानों पर नाकाबंदी की गई। सिंह ने बताया कि अभियान में 361 बड़े वाहन चालकों और 3778 दुपहिया वाहन चालकों समेत कुल 4139 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें थाना पुलिस द्वारा 285 बड़े वाहन व 3310 दुपहिया वाहन चालकों तथा यातायात पुलिस द्वारा 76 बड़े वाहन 468 दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ए.डी.जी. ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें थाना पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में